न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 निगरानी 1005-I-15

1. रामकुमार पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह
2. गोविंद पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह
3. काशीबाई बेवा श्री दौलत सिंह

सभी निवासीगण – ग्राम बमूरा भेड़ा तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 2-5-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

प्यारीबाई पुत्री स्व. श्री दौलत सिंह पत्नी जगन्नाथ लोधी निवासी गड़ा तहसील पथरिया जिला – सागर (म.प्र.)

...... अनावेदक

मुकेश भार्गव 7-5-15 एडवोकेट ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार बण्डा जिला– सागर द्वारा प्र.कं. 21अ/27 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13.4.15 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वादग्रस्त भूमि पर 1/2 हिस्सा आवेदकगण का है एवं 1/2 हिस्सा अनावेदक का है। वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर आदेश पारित होकर अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1005/एक/2015 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.12.2016	आवेदकपक्ष अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उन्होने ने वर्तमान निगरानी को नोट प्रेस में खारिज किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसपर तर्क सुने गये। मूल प्रकरण नामान्तरण से संबंधित थे जिसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1135/दो/2010 प्रस्तुत किया गया है। जो विचाराधीन है। वर्तमान प्रकरण बंटवारा कार्यवाही के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है, नामान्तरण प्रकरण में जो आदेश पारित होगा उसके अनुसार आगामी बंटवारे की कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण का कोई औचित्य नहीं है, अतः इसी स्तर पर यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	